

न्यायालय माध्यस्थम अधिकारी (जिला कलक्टर), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई. ए. एस.

प्रकरण संख्या 28/2015 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 22.06.2015

- 1-शकुन्तला पत्नि उमेश चन्द माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
- 2-मनोरमा पुत्री रूपलाल माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

-प्रार्थीगण

बनाम

परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बांसवाडा मुख्यालय चित्तौड़गढ़

-विपक्षी

आपत्ति विरुद्ध अवार्ड क्रमांक/रा.रा./निम्बाहेड़ा(नृसिंहगढ़)/एवार्ड-113/प्र.सं.
60/2014 दिनांक 01.08.2014 सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपस्थिति:- श्री मुकुट बिहारी दाधीच, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि चित्तौड़गढ़ जिले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-113 निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ और बाडी बाय पास के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की मौजा नृसिंहगढ़ की खातेदारी की आराजी संख्या 305 रकबा 0.01 गे. मू. चा. एवं आराजी संख्या 306 रकबा 0.37 है. किस्म चाही 3 भूमि अवाप्ति में ली गई। उक्त भूमि में कुवा स्थित होने से कुवे का मुआवजा नहीं दिया तथा कृषि भूमि की वास्तविक कीमत का सही मूल्यांकन नहीं करने से पारित अवार्ड आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरुद्ध यह आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बांसवाडा को सूचना-पत्र जारी कर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से संबंधित पत्रावली तलब की गयी। विपक्षी की ओर से श्री मुकुट बिहारी

प्रकरण संख्या 28/2015 (रा.अ.)
शकुन्तला पत्नि उमेश चन्द माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा वगैरा बनाम परियोजना निदेशक एवं अधि.अभि.सा.नि.वि.रा. रा.मार्ग खण्ड बांसवाड़ा

दाधीच, अधिवक्ता द्वारा अधिकार-पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी से पत्रावली प्राप्त हुई। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण गुणावगुण के आधार पर देखा गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की मौजा नृसिंहगढ़ की आराजी नम्बर 305 रकबा 0.01 है. किस्म गे. मू. चा. एवं आराजी नम्बर 306 रकबा 0.37 है. किस्म चाही 3 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई जिसका सक्षम प्राधिकारी ने सही मूल्यांकन नहीं किया। प्रार्थीगण की भूमि सिंचित भूमि है जिस पर पक्का कुवा बना हुआ है जिसकी कीमत बाजार भाव से बहुत ज्यादा है जो कि 90.00 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से है। अवाई में कृषि भूमि की गलत रूप से कम कीमत आंकी गई है। कुवा बना हुआ है जिसका मुआवजा नहीं दिया गया है। अतः प्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार की जाकर अवाई राशि बाबत विधिवत् जांच कराई जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि की 85.00 लाख रुपये तथा कुवा, पानी की टंकी की कीमत 5.00 लाख रुपये कुल कीमत 90.00 लाख रुपये दिलाई जावे।

विपक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थीगण ने अत्यधिक मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए मनमकसूद तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर तथ्य प्रस्तुत किए हैं। प्रार्थीगण को संबंधित पटवार हल्का, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार मुआवजा जारी किया गया है। प्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म एवं नियमानुसार भूमि पर बने निर्माण, पेड, पौधों आदि संपरिवर्तन अनुसार जिला कमेटी द्वारा तय दर से मूल्यांकनकर्ता की वेल्युवेशन रिपोर्ट के आंकलन के आधार पर ही मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो अवाई जारी किया गया है वो सभी नियमों, राजस्व अधिकारियों, एन. एच. के अधिकारियों की रिपोर्ट के पश्चात् भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सत्यापन करा पूर्णतया सही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रथम हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 305 रकबा 0.01 है. किस्म गे. मू. चाह. जरूर है किन्तु अवाप्ति में कुआ नहीं आया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्ति में कुआ आना बताने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौके पर दुबारा जांच कराई गई जिसमें आचाह अवाप्ति एरिया में नहीं होना पाया गया है। चूंकि कुआ अवाप्ति एरिया में नहीं आया है इसलिए प्रार्थीगण कुए की कीमत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

जहां तक अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि एवं संरचनाओं की कीमत का सही मूल्यांकन नहीं करने का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं एन. एच. के अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन करने जिनका सत्यापन/प्रमाणीकरण संबंधित कार्यपालक इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निम्बाहेड़ा द्वारा किये जाने के पश्चात् अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं का भूमि की किस्म एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुसार डी. एल. सी. दर से अधिनियम की धारा 3 जी (2) के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय राशि जोड़ते हुए मुआवजा भुगतान किया गया है जो विधि-सम्मत है। साथ ही प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनकी भूमि की कीमत 90.00 लाख रुपये प्रतिबीघा होने तथा कुवा अवाप्ति में आने के कथन की पुष्टि होती हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित अवाई आदेश दिनांक 01.08.2014 विधि-सम्मत होकर पारित अवाई आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण का आपत्ति आवेदन खारीज किया जाता है।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(इन्द्रजीत सिंह)